

प्रेस नोट / सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-262/2023 दिनांक 20.09.2023)

दिनांक-20.09.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना खड्डा पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल व चोरी की चार अदद मोबाईल फोन (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 80 हजार रुपये) के साथ एक शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2023 को थाना खड्डा पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बहदग्राम बंजारी पट्टी नहर पुलिया के पास से अभियुक्त सलीम खान पुत्र मुन्ना खान निवासी वार्ड न0 04 चांदनी चौक जनता स्कूल थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल व 04 अदद चोरी का मोबाईल फोन (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 80 हजार रुपये) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 398/23 धारा 41,411,414 भादवि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 398/23 धारा 41,411,414 भादवि0 थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सलीम खान पुत्र मुन्ना खान निवासी वार्ड न0 4 चांदनी चौक जनता स्कूल थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (HF DELUXE) बिना नं0 प्लेट का (कीमत लगभग 50,000/- रुपये)
2. चोरी के 04 अदद मोबाईल फोन (कीमत लगभग 30,000/- रुपये)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह थाना थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री जिए लाल कन्नौजिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

3. का0 शशिकेश गोस्वामी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 04 राशि गोवंश की हत्या करने जा रहे दो पुरुष व एक महिला सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में पशु तस्करी/गौ हत्या की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.09.2023 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा ग्राम सुमुही बुजुर्ग उर्फ मेंहदिया से 04 राशि गोवंश की हत्या करने जा रहे अभियुक्तों 1.हरिहर यादव पुत्र सरजू यादव निवासी ग्राम चौरईया पोखरा थाना को0 पडरौना जिला कुशीनगर, 2.अरसद उर्फ छोटू पुत्र असगर नि0 बसईया बनबीरपुर थाना को0 पडरौना जिला कुशीनगर, 3. एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चारों गो वंशों को मुक्त कराया गया और उनके पास से 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद बांका लोहे का, 01 अदद चाकू, 05 अदद प्लास्टिक की रस्सी के टुकड़े व 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन सं0 UP57Y2408 बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 312/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 312/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.हरिहर यादव पुत्र सरजू यादव निवासी ग्राम चौरईया पोखरा थाना को0 पडरौना जिला कुशीनगर
- 2.अरसद उर्फ छोटू पुत्र असगर निवासी बसईया बनबीरपुर थाना को0 पडरौना जिला कुशीनगर
3. एक महिला अभियुक्ता

बरामदगी का विवरण-

04 राशि गोवंश (बछड़ा), 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद बांका लोहे का, 01 अदद चाकू, 05 अदद प्लास्टिक की रस्सी के टुकड़े व 01 अदद मोटरसाइकिल UP57Y2408

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर



2. व0उ0नि0 श्याम लाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 विकास मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 आदित्य मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 सचिन कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
6. हे0का0 रामकृपाल यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
7. का0 श्रीकृष्ण मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
8. का0 श्रवण कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
9. का0 अश्वनी कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
10. म0का0 सुमन सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2023 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस की टीम द्वारा छावनी तिराहे के पास से मु0अ0सं0 772/2023 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र सदानन्द चौहान साकिन चौराखास थाना रविन्द्र नगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 772/2023 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि0 थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

संदीप चौहान पुत्र सदानन्द चौहान साकिन चौराखास थाना रविन्द्र नगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. नि0 श्री चतुर्भुज पाण्डेय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का0 संदीप मौर्या थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office

***थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा 1.100 किग्रा0 अवैध गांजा (कीमत**

लगभग 22 हजार रुपये) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध मादक द्रव्य पदार्थों की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2023 को कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा सिधुआ मन्दिर स्थान के बगल से एक अभियुक्त गोलू चौहान पुत्र स्व० कैलाश चौहान साकिन मोहनपट्टी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में 1.100 किग्रा० अवैध गांजा (कीमत लगभग 22 हजार रुपये) बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 885/2023 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०स० 885/2023 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

गोलू चौहान पुत्र स्व० कैलाश चौहान साकिन मोहनपट्टी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 359/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
2. मु०अ०सं० 416/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

एक प्लास्टिक के झोले से 1.100 किग्रा० अवैध गांजा (कीमत करीब 22 हजार रूपये)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० श्री राज प्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 2 उ०नि० श्री अनुराग शर्मा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का० रितेश कुमार राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का० तुषार यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 44 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-49 वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-62 व्यक्ति-193

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-50)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

